पत्रांक–डी0डी0–1–विविध–111/42/2022–23(पार्ट–VI) ......

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

कुमार रवि,
सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित),
भवन प्रमंडल,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

विषयः– PMIS अद्यतन करने के संबंध में।

पटना, दिनांकः–..........

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय ज्ञापांक–7110 (भ) दिनांक–29.09.2022 एवं ज्ञापांक–8782 (भ) दिनांक–02.12.2022 के माध्यम से तथा विभिन्न समीक्षात्मक बैठकों में बार–बार निदेश दिए जाने के बावजूद आपके द्वारा PMIS को अद्यतन करने में अपेक्षित रूचि नहीं ली जा रही है, जो खेद का विषय है। PMIS अद्यतन नहीं रहने के कारण विभागीय समीक्षा, उच्च स्तरीय बैठकों तथा अन्य विभागों के साथ बैठकों हेतु ससमय प्रतिवेदन तैयार करने में काफी कठिनाई होती है तथा इसके कारण विभाग को काफी असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। अभी तक कार्यपालक अभियंताओं द्वारा सामान्यता प्रत्येक माह में एक बार PMIS में योजनाओं को अद्यतन किया जाता है तथा सभी आवश्यक सूचनाओं यथा–स्थल उपलब्धता की तिथि, योजना विलम्ब से प्रारंभ होने का कारण, प्रगतिशील योजना में विलम्ब का कारण, विलम्बित योजना के पूर्ण होने की संभावित तिथि, संभावित व्यय, कोई अन्य समस्या इत्यादि को अंकित नहीं किया जाता है अथवा अद्यतन नहीं किया जाता है, जिससे योजना के बारे में सही स्थिति का पता नहीं चल पाता है।

उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में निम्न निदेश दिया जाता है :

(i) PMIS में प्रत्येक सप्ताह गुरूवार को योजनाओं को अद्यतन किया जाय।

(ii) वर्तमान वित्तीय वर्ष में संभावित व्यय का सही आकलन कर PMIS में अंकित किया जाय।

(iii) PMIS के अभ्युक्ति कॉलम में योजना से संबंधित महत्पूर्ण सूचनाओं, यथा–

(a) स्थल उपलब्धता की तिथि,

(b) यदि निविदा आमंत्रित है तो निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि, तकनीकी बिड भेजने का प्रसंग/तिथि, निविदा निष्पादन की तिथि,

(c) यदि योजना विलम्ब से प्रारंभ हुई है तो विलम्ब का कारण,

(d) यदि योजना प्रगति में है तथा विलम्बित है तो विलम्ब का कारण, संवेदक पर की गई कार्रवाई एवं योजना के पूर्ण होने की संभावित तिथि,

(e) योजना से संबंधित कोई अन्य समस्या,

(f) योजना यदि पूर्ण है, तो पूर्णता की तिथि एवं उद्घाटन की स्थिति/तिथि, इत्यादि को अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अधीक्षण अभियंता इस संबंध में साप्ताहिक रूप से V.C/Online बैठक के माध्यम से इसका अनुश्रवण करेंगे तथा मुख्य अभियंता मासिक रूप से PMIS के संबंध में अनुश्रवण कर PMIS को अद्यतन कराना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में किसी प्रकार की लापरवाही बरते जाने पर संबंधित अभियंताओं के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

ह0/-
(कुमार रवि)
सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–   पटना, दिनांकः............
प्रतिलिपिः–सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित), भवन अंचल, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 5680 (अ)   पटना, दिनांकः........ 13/7/23
प्रतिलिपिः–आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/7/23
सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना